

ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को मान्यता देने हेतु ग्राम पंचायत का प्रस्ताव


ग्रा0पं0- रामपुर

वि0ख0- 3/1/15

जनपद- अदोई

ग्राम पंचायत में दिनांक 02/05/2023 को ग्राम पंचायत की एक बैठक आहूत किया गया जिसमें निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया गया-


1- ग्राम पंचायत की एक बैठक ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति का गठन किया गया और उसमें निम्नलिखित व्यक्तियों को सदस्यों के रूप में चयनित किया गया है-

क्रम	सदस्य का नाम	वर्गीकरण (महिला / अनु0जा0 / जनजाति / पिछड़ा वर्ग / गरीबी रेखा के नीचे / भूमिहीन)	पदनाम (अध्यक्ष / सचिव / कोषाध्यक्ष / सदस्य)	सम्पर्क सूत्र मोबाईल न0
1	 सुदीची		45 अध्यक्ष	9506707014
2	शान्ति देवी	पिछडा वर्ग	सचिव	
3	मोती लाल हरिशंकर	पिछडा वर्ग	45 कोषाध्यक्ष	8542046795
4	सुनील कुमार	अनु0जाति	37 सामान्य सदस्य	
5	राजमन्नी	अनु0जाति	48 सामान्य सदस्य	6387482359
6	श्रीना विश्वकर्मा	पिछडा वर्ग	39 सामान्य सदस्य	8604129418
7	जानदेवी	पिछडा वर्ग	41 सामान्य सदस्य	80214840356
8	कैला सन्तोष	पिछडा वर्ग	45 सामान्य सदस्य	8810876373
9	सुनीता विन्	पिछडा वर्ग	43 सामान्य सदस्य	7839842654
10	नीलम देवी	पिछडा वर्ग	47 सामान्य सदस्य	9935677921
11	इशरानती	अनु0जाति	50 सामान्य सदस्य	9628317830 984117896
12	केचन	अनु0जाति	44 सामान्य सदस्य	7398322880
13	शशांकर यादव	पिछडा वर्ग	28 सामान्य सदस्य	8452072594
14	शकेश प्रजापति	पिछडा वर्ग	38 सामान्य सदस्य	7985034846
15	केश कुमार	पिछडा वर्ग	32 सामान्य सदस्य	6388407945

2- पेयजल एवं स्वच्छता योजनाओं के सम्बन्ध में ग्राम्य विकास विभाग / पंचायती राज विभाग / राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन / राज्य परियोजना प्रबन्धन ईकाई, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति एवं जिला प्रबन्धन ईकाई स्तर पर समय-समय पर निर्गत दिशानिर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अपना कार्य करने की अनुमति दी गयी है।

3- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को कार्यक्रम हेतु धनराशि प्राप्त करने की अनुमति दी गई ताकि वह जलापूर्ति एवं स्वच्छता से सम्बन्धित योजनाओं को ग्राम पंचायत में क्रियान्वित कर सकें।















4- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अनुमति दी गई कि वह जलापूर्ति एवं स्वच्छता सम्बन्धित योजनाओं / सेवाओं हेतु रख-रखाव / उपयोग राशि निर्धारित करें एवं भुगतान प्राप्त करें और भुगतान प्राप्त न होने की स्थिति में उचित कार्यवाही करें।





- 5- कार्यक्रम की धनराशि के प्रबन्धन हेतु ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को बैंक में खाता खोलने एवं उसके संचालन की अनुमति प्रदान की गई।
- 6- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को योजना की रूपरेखा बनाने एवं उसे क्रियान्वित करने के स्तर पर नियमानुसार एवं आवश्यकतानुसार भुगतान करने एवं "Sign Off" हेतु अधिकृत किया गया। ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को कार्यक्रम के दिशा निर्देशों के अनुसार जलापूर्ति एवं स्वच्छता की योजनाओं को क्रियान्वित करने हेतु तकनीकी विकल्पों पर निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया गया।
- 7- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अधिकृत किया गया कि वह पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता से सम्बन्धित सेवाओं हेतु उपयुक्त अधिकारी एवं सेवा प्रदाता एजेन्सी के साथ समझौता ज्ञापन (MOU) एवं स्वीकृत पत्र (CONSENT) एवं अनुबन्ध पत्र (CONTRACT) हस्ताक्षरित करें।
- 8- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अधिकृत किया गया कि वह नियमों अनुसार निर्णय सामग्री का उपार्जन कर उपलब्ध कराये तथा उस सामग्री की गुणवत्ता को सुनिश्चित करें।
- 9- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को उसकी समस्त गतिविधियों को करने में पूर्ण सहयोग एवं अनुकूल वातावरण प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
- 10- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को उपभोक्ताओं की शिकायतों का समाधान करने के लिये भी अधिकृत किया गया। तथा जलापूर्ति एवं स्वच्छता की सेवाओं के प्रबन्ध हेतु तैयार की गयी प्रणाली एवं सम्पत्ति क निरिक्षण में सहयोग प्रदान करें।
- 11- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अधिकृत किया गया कि वह बहु-ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता समिति तथा बहु-ग्रामीण योजनाओं से सम्बन्धित अन्तर ग्राम सुविधाओं (यदि लागू हो तो) सामान्य सुविधाओं के संचालन प्रबन्धन एवं अधिकांश जलापूर्ति हेतु संयोजन करें।

ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति के उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर:-

क्रम	सदस्य का नाम	पदनाम	हस्ताक्षर या नि:अंगूठी
1	सुदेवी	अध्यक्ष	
2	ज्ञानेश सिद्ध पादव	सचिव	
3	हरिशंकर	कोषाध्यक्ष	
4	सुनील कुमार	सामान्य सदस्य	
5	राजमणी	सामान्य सदस्य	
6	वीना विश्वकर्मा	सामान्य सदस्य	
7	ज्ञानदेवी	सामान्य सदस्य	
8	सन्तोष	सामान्य सदस्य	
9	सुनीता बिन्द	सामान्य सदस्य	
10	नीलम देवी	सामान्य सदस्य	
11	इस्मरावती	सामान्य सदस्य	
12	कंचन	सामान्य सदस्य	
13	रमाशंकर पादव	सामान्य सदस्य	
14	राकेश प्रजापति	सामान्य सदस्य	
15	केश कुमार	सामान्य सदस्य	